

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-242/2018

- 1 सन्तलाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
- 2 सुशील पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
-वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र लिखमाराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
2. रोशनी देवी पत्नी मनीराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
3. भागवन्ती पत्नी जसवन्त पुत्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी गिन्दड़ा तहसील रानियां जिला सिरसा (हरियाणा)
4. सोनू पुत्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री महेश कुमार गौड वकील वादीगण मिन जानिन मुदई श्री एच.एस.गिल प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज आराजी में से वादी संख्या 1 सन्तलाल को पुत्र मनीराम को प्राप्त आराजी-चक न. 4 आर.डब्ल्यू.बी. खाता संख्या 39/32 में प0न0 209/333 मु0न0 9 कि0न0 16 ता 19/1.012, 20/2/.203,21/2/.056, व चक 5 आर.डब्ल्यू.बी. खाता संख्या 55/48 प0न0 209/335 मु0न0 1 कि0न0 4 ता 6/.759 है0, तथा वादी संख्या 2 सुशील पुत्र मनीराम को प्राप्त आराजी :-चक 4 आर.डब्ल्यू.बी. खाता संख्या 39/32 का प0न0 209/333 मु0न0 9 कि0न0 21/2/.108, 22/2/.202, 23/2/.203, 24/2/.203, 25/2/.202, प0न0 208/333 मु0न0 10 कि0न0 16/.126, 25/2/.227, व चक 5 आर.डब्ल्यू.बी. खाता संख्या 55/48 का प0न0 209/335 मु0न0 1 कि0न0 7, 14, 15/.759 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कर,खाता विभाजन किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद
वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 12/9/18 अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/9/18 को जारी
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी